

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या : 60/2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

शम्भूलाल पिता श्रीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.

..... प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पिता स्वरूपा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
02. बन्टी पिता रोडू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.

..... विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 30/11/2021

प्रार्थना पत्र शम्भूलाल पिता श्रीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 239 पर अंकित आराजी सं. 771/497 रकबा 0.8094 है० भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान काँसा में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 239 पर अंकित आराजी सं. 771/497 रकबा 0.8094 है० भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू०अ०नि० बिजौलियांकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा तिवाड़ी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां  
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)  
बिजौलियां (भीलवाड़ा)